राजस्थान सरकार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

27.06.2025	**प्रार्थना संख्याः 536/2025** राजस्व नक्शे में पालना की जा चुकी है। तत्पश्चात जे.डी.ए. के पत्रांक उपायुक्त जे.डी.ए. जोन 11 पत्रांकःजविप्रा/जोन–11/2025/डी–5867 दिनांक 26.05.2025 द्वारा तहसीलदार सांगानेर को पूर्व में की गई ख0न0 283, 283/1 की तरमीम के सम्बंध में पुनः जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया जेडीए द्वारा प्रेषित दोनों पत्रो के सलग्न पत्रादियो के अवलोकन से स्पष्ट है चुकि उक्त प्रकरण में अवाप्ती की कार्यवाही जेडीए के स्तर पर की गई है परन्तु जेडीए द्वारा पूर्व में व वर्तमान में भी पत्र के संलग्न में भी कोई सत्यापित/ अनुमोदित तरमीमी नक्शा न्यायालय में पेश नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता हो की तरमीम शुद्धि किस दिशा में की जानी है। **अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि जेडीए के पूर्व प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय में दर्ज प्रार्थना पत्र संख्या 358/2024 निर्णय दिनांक 29.11.2024 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की पालना में की गई गई तरमीम शुद्धि को विलोपित करते हुए दिनांक 29.11.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। पूर्व नक्शा संलग्न है।** साथ ही उपायुक्त जे.डी.ए. जोन 11 को आदेशित किया जाता है कि सडक हेतु अवाप्त खसरा नम्बर 283 रकबा 0.92 है0 के नक्शे में जितनी भूमि कम है तथा शेष खातेदारी भूमि 283/1 रकबा 0.02 है0 में जितनी भूमि बेशी है का मौका निरीक्षण करवाया जाकर खसरा नम्बर 283/1 के बेशी रकबा नक्शे में किस दिशा में तरमीम की जावे ताकि अवाप्त रकबा ख0न0 283 का रकबा 0.92 है0 की पूर्ती हो जावे का अनुमोदित/सत्यापित तरमीमी नक्शा प्रार्थीगण को सुनते हुए तहसील सांगानेर को प्रेषित किया जावे। साथ ही तहसीलदार सांगानेर जेडीए से अनूमोदित/सत्यापित तरमीमी नक्शा प्राप्त होने पर तदानुसार तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करे। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर एवं उपायुक्त जेडीए जोन 11 को तहरीर भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)